कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून पिन कोड़-248195

स0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-32/2018-19/

दिनांक : /07/2018

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत- मंगसू,
विकास खण्ड- कीर्तिनगर,
जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय : ग्राम पंचायत मंगसू, विकास खंड- कीर्तिनगर, का वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2(ब) में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (*Annual Technical Inspection Report) (ATIR*) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-32/2018-19/ **दिनांक: /07/2018**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, आई0टी0पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून
2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005
3- जिला पंचायतराज अधिकारी **टिहरी गढ़वाल,**
4- खण्ड विकास अधिकारी **कीर्तिनगर, जनपद- टिहरी गढ़वाल**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **मंगसू,** (क्षेत्र पंचायत- **कीर्तिनगर,** जनपद- **टिहरी गढ़वाल** के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **मंगसू,** (क्षेत्र पंचायत- **कीर्तिनगर,** जनपद - **टिहरी गढ़वाल** के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखों की संप्रेक्षा श्री अशोक कमार मीना, ले.प. द्वारा 20/06/2018 को की गयी।

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का यह **प्रथम निरीक्षण** था।

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम	**अवधि**
(अ) **श्री राजा राम बहुगुणा**	**जुलाई 2014 से**

II उप-प्रधान

नाम	
(अ) श्री जीत सिहं रावत	**अगस्त 2014 से**

<u>भाग-2</u>

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाये जाने के कारण उपभोग प्रमाण पत्र की जांच नही हो सकी।

भाग-2

अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष	` 219170/-
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 1918494/-
कुल प्राप्तियां	` 2137664/-
घटाये:- वर्ष के दौरान व्यय	` 2091093/-
31.03.2018 को अंतिम शेष	` 46571/-

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

------------शून्य------------

3. समाधान विवरण		
		(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	:	` 46571/-
जोड़े	:	
(i)	:	0.00
घटायें	:	
(i)	:	0.00
बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष	:	` 46571/-

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

-----------------शून्य--------------

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि ` 2091093/-उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 के नियम 44 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेखः

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-.रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

1- अग्रिम पंजिका

2- स्टॉक पंजिका

भाग-एक

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय ग्राम पंचायत **<u>मंगसू</u>** के लेखा -अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा, व.ले.प. द्वारा दिनांक 20.06.2018 को संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः **प्रथम निरीक्षण**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-		---

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग -3 (ग्राम पंचायत- लवोई गाँव,2015-16

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	51500	205000	256500	248600	7900
2	राज्य वित्त	40000	127800	167800	163752	4048
3	ब्याज प्राप्ति	15317	9121	24438	0	24438
4	प्रधान/उप प्रधान का मानदेय़	0	13200	13200	13200	0
5	अन्य मद	112353	0	112353	0	112353
	कुल योग	**219170**	**355121**	**574291**	**425552**	**148739**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- लवोई गाँव,2016-17

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	7900	387000	394900	353908	40992
2	राज्य वित्त	4048	124800	128848	97039	31809
3	ब्याज प्राप्ति	24438	8636	33074	0	33074
4	प्रधान/उप प्रधान का मानदेय़	0	13200	13200	013200	0
5	समाज कल्याण	0	470	470	0	470
6	स्वजल	0	13700	13700	0	13700
7	अन्य मद	112353	0	112353	112353	0
	कुल योग	**148739**	**547806**	**696545**	**576500**	**120045**

भाग -3 (ग्राम पंचायत- लवोई गाँव, 2017-18

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केंद्रीय वित्त	40992	669000	70992	705972	4020
2	राज्य वित्त	31809	204100	235909	233469	2440
3	ब्याज प्राप्ति	33074	6567	39641	0	39641
4	प्रधान/उप प्रधान का मानदेय़	0	15900	15900	15900	0
5	समाज कल्याण	470	0	470	0	470
6	ग्राम श्री पुरस्कार	13700	0	13700	13700	0
7	अन्य मद	0	120000	120000	120000	0
	कुल योग	**120045**	**1015567**	**1135612**	**1089041**	**46571**

<u>लेखाओं पर टिप्पणी:-</u>

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |
(iii) इकाई द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जा रहा है |

<u>**भाग-2 (ब)**</u>

प्रस्तर-01- भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम पंचायत <u>**मंगसू,**</u> के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नही किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखाकंन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखाकंन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005,को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नही किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 02- संविधान के 73वें संशोधन के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय में से मात्र 14 विषय का अपूर्ण हस्तान्तरण।

1992 में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिनमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है,को स्वायतता (self governance) प्रदान की गई है। तदनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तान्तरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है। वर्तमान निरीक्षण तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 14 विषय ही हस्तान्तरित किये गये है जो निम्नवत हैं।

1. पेयजल आपूर्ति
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. प्रौढ एंव अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक क्रियाक्लाप
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम
10. महिला एंव बाल विकास
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि तथा सम्बन्धित विभाग

उपरोक्त विषय उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये थे।

परन्तु ग्राम पंचायत **<u>मंगसू</u>,** की अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का शासनादेश निर्गत किया गया है। परन्तु इन 14 विषयों से सम्बन्धित कर्मचारी एंव अधिकारी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को पूर्ण दायित्व वास्तविक रूप से हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 3- इकाई द्वारा विभिन्न खातों से ब्याज के रुप में प्राप्त धनराशि रु 39641/- को राजकोष मे जमा न कराया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/वि॰ आ॰ निदे॰ (तृ॰ रा॰ वि॰ आ॰)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राज़कोष में जमा किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायत मंगसू के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया की इकाई को 04/2015 से 03/2018 तक बैंक खातों से ब्याज के रूप में रु 39641/- की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त शासनादेश की जानकारी के अभाव में धनराशि को राजकोष में जमा नहीं कराया गया था। धनराशि को शीघ्र राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 4- ग्राम पंचायत द्वारा आय मे बदोतरी न किए जाने के कारण परफॉर्मेंस ग्रांट से वंचित रहना ।

भारत सरकार के पत्रांक 13(32)FCC/FCD/2015-16 दिनांक 08-10-2015 के बिन्दु संख्या 13 मे ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध मे निर्देशित किया गया है कि जो ग्राम पंचायते परफॉर्मेंस ग्रांट चाहती हैं उनकी योग्यता निर्भर करेगी:-

(अ) ग्राम पंचायत को लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना होगा जो उस वर्ष से दो वर्ष से ज्यादा पुराने न हो, जिस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट चाहती है।

(ब) ग्राम पंचायतों को उनके लेखापरीक्षित खातों में आय में वृद्धि दिखानी होगी।

ग्राम पंचायत **<u>मंगसू,</u>** के अभिलेखों कि जांच मे पाया गया कि पंचायत की आय मे बदोतरी के लिए प्रयास नहीं किए गए जिस कारण ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस ग्रांट से वंचित रही ।

इस विषय मे इंगित किए जाने पर इकाई ने बताया कि ग्राम पंचायत कि आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मंगसू, विकास खण्ड- - कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून-248195** को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय